राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांकः आर.एन.सी./मान्यता/2011/1681 दिनांकः- 21/9/12

To,

The Principal,
Surendra Nursing Training Institute,
H H Garden, Power House Road,
Sri Ganga Nagar-335001

विषय : जनरल नर्सिंग स्कूल खोलने की अनुमति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र F.24(37)M&H/Gr.3/2012 दिनांक 14.09.2012 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरान्त भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक File No. 02/Aug/2012 दिनांक 07.08.2012 के तहत आपका संस्थान **जनरल नर्सिंग स्कूल** छात्र भर्ती करने के उपयुक्त पाया गया है तथा भारतीय उपचर्या परिषद् के पत्रानुसार आपको निम्न शर्तो के तहत राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के द्वारा सम्बद्धता/मान्यता दी जाती है :-

6. आप प्रत्येक वर्ष राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को निर्धारित मान्यता फीस (वर्तमान में 10,000/- रू.) जमा करवायें।
6. छात्रों की भर्ती के लिए वर्ष में एक बार माह सितम्बर/अक्टूबर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय, जयपुर व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा छात्र उपलब्ध करवायें जायेंगे तथा विज्ञप्ति में जारी नियमों एवं शर्तो की अनिवार्य रूप से पालना की जावेगी।
6. प्रत्येक वर्ष आई. एन. सी./आर. एन. सी. द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। जब तक आपका प्रथम बैच उत्तीर्ण नहीं हो जाता है।
6. आपके संस्थान को 40 **(चालीस)** सीटों के लिए प्रति वर्ष भर्ती कर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः आपको 40 **(चालीस)** सीटो को जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण हेतु छात्र/छात्रोओं के लिए आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित अन्य विषयों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।
6. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(211)चिस्वा/3/96 दिनांक 12.5.2000 एवं समसंख्यक संशोधित पत्र दिनांक 02.07.2001 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से की जानी है।
6. समय-समय पर राज्य सरकार, आई. एन. सी. एवं आर. एन. सी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्तर के निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर आपकी संस्था की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

For Surendera Nursing Training Institute
Auth. Signatory

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांकः आर.एन.सी./मान्यता/2011/............ दिनांकः-...........

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद् संयुक्त परिषद् भवन, कोटला मार्ग, टेम्पल लेन, ऐवाने गालिब मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्र के क्रम में।
4. कार्यालय प्रति।